ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL**04292**
RNI REG. NO. UPBIL/**2014/66218** **PP. No.- 207-210**

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-20, No.- III, Issues-41, YEAR- July-Sept. 2026

महिला सशक्तीकरण की अवधारणाः दार्शनिक और समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य

डॉ0 स्मृति पुरवार,
2. डॉ0 बेद प्रकाश शुक्ला

असिस्टेंट प्रोफेसर– समाजशास्त्र विभाग, डी0ए0वी0 कॉलेज, कानपुर, 2. असिस्टेंट प्रोफेसर– दर्शनशास्त्र विभाग, डी0ए0वी0 कॉलेज, कानपुर (उ0प्र0) भारत

Received-16.08.2026, Revised-24.08.2026, Accepted-01.09.2026, **E-mail:purwarsmriti@gmail.com**

***सारांशः** महिला सशक्तीकरण आधुनिक सामाजिक चिंतन, मानवाधिकार विमर्श और विकास–अध्ययन का एक महत्वपूर्ण विषय है। यह केवल महिलाओं को शिक्षा, रोजगार अथवा राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने तक सीमित अवधारणा नहीं है, बल्कि महिलाओं को अपने जीवन, संसाधनों, अवसरों और निर्णयों पर प्रभावी अधिकार एवं नियंत्रण प्रदान करने की व्यापक प्रक्रिया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार महिला सशक्तीकरण में महिलाओं के जीवन पर शक्ति और नियंत्रण प्राप्त करना, आत्मविश्वास एवं विकल्पों का विस्तार, संसाधनों तक पहुँच तथा उन सामाजिक संस्थाओं और संरचनाओं में परिवर्तन शामिल है जो लैंगिक असमानता को बनाए रखती हैं।*

दार्शनिक दृष्टि से महिला सशक्तीकरण का संबंध स्वतंत्रता, समानता, न्याय, गरिमा, अधिकार, स्वायत्तता और मानवीय क्षमता जैसे मूल्यों से है। प्राचीन एवं आधुनिक दर्शन में स्त्री की स्थिति को लेकर विभिन्न दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं। उदारवादी दर्शन ने व्यक्ति की स्वतंत्रता और समान अधिकारों पर बल दिया, जबकि अस्तित्ववादी एवं नारीवादी दर्शन ने महिलाओं की सामाजिक निर्मिति, पितृसत्ता और लैंगिक भूमिकाओं की आलोचना की। समाजवादी तथा मार्क्सवादी चिंतन ने महिलाओं की अधीनता को आर्थिक संरचनाओं, श्रम–विभाजन और उत्पादन संबंधों से जोड़कर देखा।

समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में महिला सशक्तीकरण परिवार, विवाह, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, राजनीति, धर्म, संस्कृति, मीडिया और सामाजिक संस्थाओं में महिलाओं की स्थिति तथा शक्ति–संबंधों के अध्ययन से जुड़ा है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में संसाधनों, निर्णयों और सत्ता का असमान वितरण महिलाओं के अवसरों को सीमित करता है। अतः वास्तविक सशक्तीकरण के लिए केवल कानूनी समानता पर्याप्त नहीं, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण, संस्थागत व्यवहार और अवसरों की संरचना में परिवर्तन आवश्यक है।

*समकालीन विश्व में प्रगति के बावजूद लैंगिक असमानता बनी हुई है। 1 जनवरी 2025 को विश्व की राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं की हिस्सेदारी 27.2 प्रतिशत थी। इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र के 2025 **Gender Snapshot** के अनुसार वर्तमान गति बनी रहने पर 2030 में भी 351 मिलियन महिलाएँ और लड़कियाँ अत्यधिक गरीबी में रह सकती हैं। इसलिए महिला सशक्तीकरण को मानवाधिकार,सामाजिक न्याय, लोकतंत्र और सतत विकास के परस्पर जुड़े प्रश्न के रूप में समझना आवश्यक है।*

कुंजीभूत शब्द– महिला सशक्तीकरण, नारीवाद, पितृसत्ता, लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय,स्वतंत्रता,स्वायत्तता,लोकतंत्र,महिला अधिकार।

प्रस्तावना–महिला सशक्तीकरण समकालीन समाज में सामाजिक परिवर्तन का एक केंद्रीय आयाम है। किसी भी समाज की प्रगति का आकलन केवल आर्थिक विकास, औद्योगीकरण अथवा तकनीकी उपलब्धियों से नहीं किया जा सकता; यह भी देखना आवश्यक है कि समाज की आधी आबादी को कितने अधिकार, अवसर, स्वतंत्रता और निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त है। महिलाओं की सामाजिक स्थिति इस बात का महत्वपूर्ण संकेतक है कि किसी समाज में समानता, न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों का वास्तविक विस्तार किस स्तर तक हुआ है।

'सशक्तीकरण' अंग्रेजी के Empowerment का हिन्दी रूप है। सामान्य अर्थ में इसका आशय किसी व्यक्ति या समूह को अपनी परिस्थितियों को प्रभावित करने, निर्णय लेने तथा अपने हितों की रक्षा करने की क्षमता प्रदान करने से है। महिला सशक्तीकरण में यह प्रक्रिया महिलाओं के व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन से संबंधित होती है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्वतंत्रता, संपत्ति पर अधिकार, राजनीतिक भागीदारी, कानूनी सुरक्षा, डिजिटल पहुँच, आत्मनिर्णय तथा सामाजिक सम्मान जैसे अनेक पक्ष सम्मिलित होते हैं।

महिला सशक्तीकरण को केवल 'महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं' के रूप में देखना इसकी व्यापकता को सीमित कर देता है। वास्तविक सशक्तीकरण तब होता है, जब महिला स्वयं अपने जीवन से जुड़े निर्णय लेने में सक्षम हो, संसाधनों तक समान पहुँच रखती हो, अपने अधिकारों को जानती हो और सामाजिक संस्थाओं में प्रभावी भागीदारी कर सके। संयुक्त राष्ट्र की अवधारणा में भी सशक्तीकरण को केवल क्षमताओं और अवसरों की उपलब्धता नहीं, बल्कि उन अवसरों का प्रयोग करके रणनीतिक निर्णय लेने की क्षमता से जोड़ा गया है।

इस संदर्भ में महिला सशक्तीकरण की अवधारणा का दार्शनिक और समाजशास्त्रीय विश्लेषण विशेष महत्व रखता है। दर्शन हमें यह समझने में सहायता करता है कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय और मानव गरिमा का वास्तविक अर्थ क्या है, जबकि समाजशास्त्र यह स्पष्ट करता है कि सामाजिक संस्थाएँ और शक्ति–संबंध इन मूल्यों को व्यवहार में कैसे प्रभावित करते हैं।

महिला सशक्तीकरण का वैचारिक अर्थ– महिला सशक्तीकरण बहुआयामी अवधारणा है। इसे मुख्यतः निम्न आयामों में समझा जा सकता हैः

व्यक्तिगत सशक्तीकरणः इसका संबंध आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्मनिर्णय और अपनी क्षमताओं के विकास से है। ऐसी महिला अपने जीवन के संबंध में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता विकसित करती है।

शैक्षिक सशक्तीकरणः शिक्षा महिलाओं के ज्ञान, चेतना और अवसरों का विस्तार करती है। शिक्षा उन्हें अधिकारों, कानूनों, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक संस्थाओं के संबंध में जागरूक बनाती है।

आर्थिक सशक्तीकरणः आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण महिला सशक्तीकरण का महत्वपूर्ण आधार है। रोजगार, समान वेतन, उद्यमिता, संपत्ति एवं उत्तराधिकार अधिकार तथा वित्तीय सेवाओं तक पहुँच महिलाओं की आर्थिक स्वायत्तता को बढ़ाते हैं।

विश्व बैंक की Women, Business and the Law 2024 रिपोर्ट ने महिलाओं के आर्थिक अवसरों को प्रभावित करने वाले कानूनी और संस्थागत पक्षों का 190 अर्थव्यवस्थाओं में अध्ययन किया। रिपोर्ट ने सुरक्षा और बाल देखभाल को भी आर्थिक अवसरों के महत्वपूर्ण निर्धारकों के रूप में शामिल किया।

अनुरूपी लेखक / संयुक्त लेखक

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-20, No.- III, Issues-41, YEAR- July-Sept. 2026

राजनीतिक सशक्तीकरणः निर्णय लेने वाली संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी राजनीतिक सशक्तीकरण का प्रमुख संकेतक है। संसद, स्थानीय निकाय, प्रशासन, न्यायपालिका और राजनीतिक संगठनों में महिलाओं की भागीदारी लोकतंत्र को अधिक प्रतिनिधिक बनाने में सहायक हो सकती है।

सामाजिक एवं सांस्कृतिक सशक्तीकरणः महिलाओं के संबंध में रूढ़िवादी धारणाओं, लैंगिक पूर्वाग्रहों और भेदभावपूर्ण सामाजिक मान्यताओं में परिवर्तन सामाजिक सशक्तीकरण की आधारभूमि है।

दार्शनिक परिप्रेक्ष्य– स्वतंत्रता और स्वायत्तता का दर्शनः महिला सशक्तीकरण की दार्शनिक आधारभूमि में स्वतंत्रता का विचार महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता का अर्थ केवल बाहरी नियंत्रण से मुक्ति नहीं, बल्कि व्यक्ति को अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने की वास्तविक क्षमता प्रदान करना भी है। महिलाओं की स्वतंत्रता को यदि केवल कानूनी अधिकारों तक सीमित कर दिया जाए, तो सशक्तीकरण अधूरा रह जाता है। उदाहरण के लिए, कानून महिला को शिक्षा या रोजगार का अधिकार दे सकता है, लेकिन यदि परिवार, समुदाय या आर्थिक परिस्थितियाँ उसे इन अवसरों का उपयोग करने से रोकती हैं, तो औपचारिक स्वतंत्रता वास्तविक स्वतंत्रता में परिवर्तित नहीं होती। इसलिए महिला सशक्तीकरण में 'वास्तविक स्वतंत्रता' और 'व्यावहारिक विकल्प' महत्वपूर्ण हैं।

समानता का दार्शनिक आधारः समानता महिला सशक्तीकरण का दूसरा महत्वपूर्ण आधार है। समानता का अर्थ यह नहीं कि सभी व्यक्तियों की परिस्थितियाँ बिल्कुल समान हों, बल्कि यह है कि समान मानवीय गरिमा रखने वाले व्यक्तियों को अधिकारों और अवसरों में अनुचित भेदभाव का सामना न करना पड़े। लैंगिक समानता के दो प्रमुख पक्ष हैं:

- **कानूनी एवं औपचारिक समानता**
- **वास्तविक एवं अवसरगत समानता**

कई समाजों में महिलाओं को औपचारिक रूप से समान अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन व्यवहार में शिक्षा, रोजगार, संपत्ति, वेतन और नेतृत्व के अवसरों में अंतर बना हुआ है। विश्व बैंक के 2024 अध्ययन में कानून और उनके वास्तविक क्रियान्वयन के बीच महत्वपूर्ण अंतर की ओर संकेत किया गया है।

न्याय का दर्शनः न्याय की अवधारणा महिला सशक्तीकरण को अधिकार और संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण से जोड़ती है। यदि समाज में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संसाधनों का वितरण लैंगिक आधार पर असमान है तो केवल व्यक्तिगत सफलता को समानता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। न्यायपूर्ण समाज में महिलाओं को– समान नागरिक अधिकार, समान कानूनी संरक्षण, शिक्षा के समान अवसर, आर्थिक संसाधनों तक पहुँच, राजनीतिक भागीदारी, सम्मानजनक कार्य परिस्थितियाँ प्राप्त होनी चाहिए।

नारीवादी दर्शन– नारीवादी दर्शन ने महिला सशक्तीकरण की अवधारणा को गहराई प्रदान की। उदारवादी नारीवाद ने शिक्षा, मतदान, संपत्ति, रोजगार और नागरिक अधिकारों में समानता की माँग की। समाजवादी और मार्क्सवादी नारीवाद ने आर्थिक संरचनाओं तथा श्रम–विभाजन को महिलाओं की अधीनता से जोड़ा। अस्तित्ववादी नारीवादी चिंतन में यह प्रश्न महत्वपूर्ण रहा कि समाज महिलाओं की पहचान और भूमिकाओं को किस प्रकार निर्मित करता है। इस दृष्टिकोण से महिला की स्थिति केवल जैविक अंतर का परिणाम नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं का परिणाम भी है।

क्षमता दृष्टिकोणः क्षमता दृष्टिकोण के अनुसार विकास का मूल्यांकन केवल आय अथवा संसाधनों से नहीं, बल्कि इस आधार पर किया जाना चाहिए कि व्यक्ति वास्तव में क्या कर सकता है और किस प्रकार का जीवन जी सकता है। इस दृष्टिकोण से महिला सशक्तीकरण का अर्थ महिलाओं की वास्तविक क्षमताओं और विकल्पों का विस्तार है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सामाजिक सम्मान, राजनीतिक भागीदारी और आर्थिक अवसर परस्पर जुड़े हुए हैं।

समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य– समाजशास्त्र महिला सशक्तीकरण को व्यक्ति की व्यक्तिगत उपलब्धि के बजाय सामाजिक संरचना और शक्ति–संबंधों के संदर्भ में समझता है।

पितृसत्ता और महिला सशक्तीकरणः पितृसत्ता ऐसी सामाजिक व्यवस्था को कहा जाता है जिसमें पुरुषों को परिवार, संपत्ति, सामाजिक संस्थाओं और निर्णय–प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक शक्ति प्राप्त होती है। यह व्यवस्था केवल पुरुषों और महिलाओं के बीच प्रत्यक्ष संबंधों में नहीं, बल्कि सामाजिक मान्यताओं, कानून, भाषा, परंपरा और संस्थागत व्यवहार में भी दिखाई दे सकती है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में महिलाओं की भूमिकाएँ अक्सर परिवार, विवाह, मातृत्व और घरेलू कार्यों तक सीमित की जाती रही हैं। परिणामस्वरूप उनके शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक जीवन में अवसर प्रभावित हो सकते हैं।

परिवार और महिला सशक्तीकरणः परिवार महिला सशक्तीकरण का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। परिवार में निर्णय लेने की प्रक्रिया, शिक्षा संबंधी निर्णय, विवाह, रोजगार, संपत्ति और घरेलू श्रम का विभाजन महिलाओं की स्थिति को प्रभावित करता है। महिलाओं द्वारा किए जाने वाले अवैतनिक घरेलू और देखभाल कार्य का सामाजिक एवं आर्थिक मूल्य लंबे समय तक कम आँका गया। संयुक्त राष्ट्र के Gender Snapshot में महिलाओं द्वारा अवैतनिक घरेलू एवं देखभाल कार्य में पुरुषों की तुलना में अधिक समय लगाने की निरंतरता दर्ज की गई है।

शिक्षा और सामाजिक गतिशीलताः शिक्षा महिला सशक्तीकरण का अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षित महिला न केवल रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकती है, बल्कि वह अपने स्वास्थ्य, परिवार, अधिकारों और सामाजिक भागीदारी के संबंध में अधिक सूचित निर्णय ले सकती है। शिक्षा सामाजिक गतिशीलता को भी बढ़ाती है। उच्च शिक्षा महिलाओं को पेशेवर क्षेत्रों, प्रशासन, विज्ञान, तकनीक और नेतृत्व के अवसर प्रदान कर सकती है।

आर्थिक संरचना और श्रम–विभाजनः समाजशास्त्रीय विश्लेषण में आर्थिक स्वतंत्रता को शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में देखा जाता है। आय अर्जित करने वाली महिला परिवार में अधिक आर्थिक निर्णय क्षमता प्राप्त कर सकती है। हालांकि रोजगार मात्र पर्याप्त नहीं है; रोजगार की गुणवत्ता, वेतन, सुरक्षा, कार्यस्थल की परिस्थितियाँ और देखभाल संबंधी सुविधाएँ भी महत्वपूर्ण हैं। विश्व बैंक ने महिलाओं के आर्थिक अवसरों से जुड़े कानूनों के साथ–साथ कार्यान्वयन, सुरक्षा और बाल देखभाल की संस्थागत व्यवस्था को भी महत्वपूर्ण माना है।

राजनीतिक समाजशास्त्रः राजनीतिक भागीदारी महिला सशक्तीकरण का महत्वपूर्ण आयाम है। लोकतंत्र में यदि महिलाएँ निर्णय लेने की प्रक्रिया से पर्याप्त रूप से बाहर रहती हैं, तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व अधूरा माना जा सकता है। 2025 के संयुक्त राष्ट्र आँकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं की हिस्सेदारी 27.2 प्रतिशत थी। यह 2015 की तुलना में वृद्धि है, लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व में लैंगिक समानता अभी भी दूर है।

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-20, No.- III, Issues-41, YEAR- July-Sept. 2026

धर्म और संस्कृतिः धर्म एवं संस्कृति महिलाओं की सामाजिक स्थिति को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण संस्थाएँ हैं। धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों की व्याख्या विभिन्न समाजों में अलग–अलग रूपों में हुई है। इसलिए धर्म को एकसमान रूप से महिला सशक्तीकरण के पक्ष या विपक्ष में रखना समाजशास्त्रीय रूप से उचित नहीं होगा। आवश्यकता इस बात की है कि धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं की ऐसी व्याख्याओं को प्रोत्साहित किया जाए जो मानवीय गरिमा, समानता और न्याय के मूल्यों के अनुरूप हों।

मीडिया और डिजिटल समाजः आधुनिक मीडिया महिलाओं की पहचान और सामाजिक भूमिका के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मीडिया महिलाओं को केवल पारंपरिक भूमिकाओं में प्रस्तुत कर सकता है अथवा उन्हें नेतृत्व, विज्ञान, राजनीति, उद्यमिता और सामाजिक परिवर्तन के सक्रिय प्रतिनिधि के रूप में भी दिखा सकता है।

डिजिटल तकनीक ने महिला सशक्तीकरण के नए अवसर पैदा किए हैं, लेकिन डिजिटल लैंगिक विभाजन नई असमानताएँ भी उत्पन्न कर सकता है। 2025 Gender Snapshot ने डिजिटल लैंगिक विभाजन को महिला सशक्तीकरण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शामिल किया है।

भारतीय समाज में महिला सशक्तीकरण– भारत में महिला सशक्तीकरण की प्रक्रिया सामाजिक सुधार आंदोलनों, स्वतंत्रता आंदोलन, संविधान और स्वतंत्र भारत की नीतियों से जुड़ी रही है। भारतीय संविधान ने समानता, स्वतंत्रता और भेदभाव–विरोधी अधिकारों का आधार प्रदान किया। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को समझने के लिए जाति, वर्ग, ग्रामीण–शहरी अंतर, शिक्षा, आर्थिक स्थिति और क्षेत्रीय विविधता को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। सभी महिलाओं के अनुभव समान नहीं हैं। एक ग्रामीण गरीब महिला की सामाजिक और आर्थिक चुनौतियाँ शहरी उच्च शिक्षित महिला से अलग हो सकती हैं। इसलिए महिला सशक्तीकरण की नीतियों में अंतर्विभाजकता (intersectionality) को महत्व देना आवश्यक है। महिलाओं की समस्याएँ केवल 'महिला' होने के कारण उत्पन्न नहीं होतीं; वर्ग, जाति, आर्थिक स्थिति, क्षेत्र और शिक्षा जैसे कारक भी अवसरों को प्रभावित करते हैं।

महिला सशक्तीकरण के प्रमुख प्रभाव– परिवार पर प्रभावः सशक्त महिलाएँ परिवार के स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक निर्णयों में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकती हैं। इससे परिवार में निर्णय प्रक्रिया अधिक सहभागी बन सकती है।

शिक्षा पर प्रभावः महिलाओं की शिक्षा बढ़ने से बालिकाओं की शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो सकता है। शिक्षित महिला अगली पीढ़ी के लिए शैक्षिक आकांक्षाओं को मजबूत कर सकती है।

आर्थिक विकास पर प्रभावः महिलाओं की श्रमबल में भागीदारी, उद्यमिता और कौशल–विकास अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता बढ़ाने में योगदान कर सकते हैं। विश्व बैंक के अनुसार महिलाओं के आर्थिक अवसरों में कानूनी और संस्थागत बाधाएँ आर्थिक भागीदारी को सीमित करती हैं।

लोकतंत्र पर प्रभावः राजनीतिक भागीदारी महिलाओं को नीति–निर्माण में आवाज देती है और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के आधार को व्यापक बनाती है।

सामाजिक दृष्टिकोण पर प्रभावः महिला सशक्तीकरण पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं पर पुनर्विचार को प्रेरित कर सकता है। इससे परिवार और समाज में पुरुषों तथा महिलाओं के बीच अधिक सहभागी संबंध विकसित हो सकते हैं।

सतत विकास पर प्रभावः लैंगिक समानता सतत विकास के अनेक लक्ष्यों से जुड़ी हुई है। संयुक्त राष्ट्र का SDG 5 विशेष रूप से लैंगिक समानता प्राप्त करने और सभी महिलाओं तथा लड़कियों को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। इसके लक्ष्यों में भेदभाव और हिंसा की समाप्ति, अवैतनिक देखभाल कार्य की मान्यता तथा निर्णय लेने में महिलाओं की पूर्ण और प्रभावी भागीदारी शामिल है।

महिला सशक्तीकरण की प्रमुख चुनौतियाँ– महिला सशक्तीकरण के सामने अनेक संरचनात्मक चुनौतियाँ हैंः पितृसत्तात्मक सामाजिक मानसिकता, लैंगिक रूढ़ियाँ और पूर्वाग्रह, शिक्षा एवं कौशल में असमानता, आर्थिक संसाधनों पर सीमित नियंत्रण, अवैतनिक घरेलू एवं देखभाल कार्य का असमान भार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी, कार्यस्थल पर भेदभाव, लैंगिक हिंसा और असुरक्षा, डिजिटल विभाजन, कानूनों और उनके क्रियान्वयन के बीच अंतर, कानूनी अधिकारों की उपलब्धता अपने आप में पर्याप्त नहीं है। विश्व बैंक की 2024 रिपोर्ट में कानूनों और उनके कार्यान्वयन के बीच महत्वपूर्ण अंतर की पहचान की गई है; औपचारिक कानूनी सुधारों को वास्तविक परिणामों में बदलने के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं और प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता होती है।

महिला सशक्तीकरण की दिशा में आवश्यक उपाय– महिला सशक्तीकरण को प्रभावी बनाने के लिए बहुआयामी रणनीति आवश्यक है।

प्रथम– गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बालिकाओं के लिए प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण तक समान अवसर सुनिश्चित किए जाने चाहिए।

द्वितीय– आर्थिक स्वायत्तता, महिलाओं के लिए रोजगार, उद्यमिता, वित्तीय समावेशन, संपत्ति–अधिकार और कौशल विकास को बढ़ावा देना आवश्यक है।

तृतीय– राजनीतिक भागीदारी, स्थानीय से राष्ट्रीय स्तर तक महिलाओं की सार्थक राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। केवल प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं; निर्णय लेने की वास्तविक शक्ति और नेतृत्व के अवसर भी आवश्यक हैं।

चतुर्थ– सामाजिक मानसिकता में परिवर्तन, लैंगिक समानता की शुरुआत परिवार और शिक्षा व्यवस्था से होनी चाहिए। लड़के और लड़कियों दोनों को समानता, सम्मान और साझी जिम्मेदारी के मूल्यों से परिचित कराना आवश्यक है।

पंचम– देखभाल अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन, घरेलू और देखभाल संबंधी कार्यों को केवल महिलाओं की जिम्मेदारी मानने की धारणा बदलनी होगी। सार्वजनिक सेवाएँ, बाल देखभाल सुविधाएँ और परिवार में जिम्मेदारियों का साझा वितरण महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को बढ़ा सकता है।

षष्ठम– डिजिटल सशक्तीकरण, महिलाओं के लिए डिजिटल साक्षरता, इंटरनेट, तकनीकी शिक्षा और डिजिटल वित्त तक समान पहुँच सुनिश्चित करना वर्तमान समय की प्रमुख आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र के 2025 आकलन में डिजिटल लैंगिक विभाजन को महिला सशक्तीकरण और गरीबी उन्मूलन से जोड़कर देखा गया है।

निष्कर्ष– महिला सशक्तीकरण को केवल महिलाओं के लिए कुछ विशेष सुविधाएँ उपलब्ध कराने की प्रक्रिया के रूप में नहीं समझा जा सकता। यह सामाजिक शक्ति–संबंधों, संस्थागत संरचनाओं और सांस्कृतिक मूल्यों में परिवर्तन की व्यापक प्रक्रिया है। दार्शनिक दृष्टि से इसका आधार स्वतंत्रता, समानता, न्याय, गरिमा और स्वायत्तता में निहित है, जबकि समाजशास्त्रीय दृष्टि से इसका संबंध पितृसत्ता, परिवार, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, राजनीति, धर्म, संस्कृति और मीडिया जैसी संस्थाओं से है। वास्तविक महिला सशक्तीकरण

तब संभव है जब महिलाओं के पास अधिकार होने के साथ–साथ उन अधिकारों का प्रयोग करने की वास्तविक क्षमता भी हो। शिक्षा उन्हें ज्ञान प्रदान करती है, आर्थिक स्वतंत्रता संसाधनों पर नियंत्रण की क्षमता बढ़ाती है, राजनीतिक भागीदारी निर्णय–निर्माण में आवाज देती है और सामाजिक परिवर्तन उन्हें सम्मान एवं समानता प्रदान करता है। समकालीन वैश्विक आँकड़े यह दर्शाते हैं कि प्रगति हुई है, लेकिन लैंगिक समानता अभी पूर्ण नहीं हुई है। राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं की हिस्सेदारी 2025 में 27.2 प्रतिशत थी और संयुक्त राष्ट्र के आकलन के अनुसार वर्तमान प्रवृत्तियाँ जारी रहने पर 2030 तक भी बड़ी संख्या में महिलाएँ अत्यधिक गरीबी में रह सकती हैं।

अतः महिला सशक्तीकरण को विकास की सहायक नीति नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण समाज की मूल शर्त के रूप में देखना चाहिए। इसके लिए कानून, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, राजनीति, परिवार और संस्कृति आदि में समानता आधारित परिवर्तन आवश्यक है। महिला सशक्तीकरण का अंतिम उद्देश्य महिलाओं को किसी विशेष वर्ग के रूप में विशेषाधिकार देना नहीं, बल्कि उन्हें समान मानवीय गरिमा, स्वतंत्रता, अवसर और निर्णय लेने की वास्तविक क्षमता उपलब्ध कराना है। इसी अर्थ में महिला सशक्तीकरण सामाजिक न्याय, लोकतंत्र और मानव विकास की अनिवार्य आधारशिला है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Beauvoir, Simone de. The Second Sex- Vintage Books, New York.
2. Bhasin, Kamla. What is Patriarchy\ Kali for Women, New Delhi.
3. Bhasin, Kamla. Understanding Gender. Women Unlimited, New Delhi.
4. Engels, Friedrich. The Origin of the Family, Private Property and the State. Penguin Classics.
5. Friedan, Betty. The Feminine Mystique. W. W. Norton & Company.
6. Gandhi, Nandita & Nandita Shah. The Issues at Stake: Theory and Practice in the Contemporary Women's Movement in India. Kali for Women.
7. Mill, John Stuart. The Subjection of Women. Dover Publications.
8. Sen, Amartya. Development as Freedom. Oxford University Press.
9. Sen, Amartya. The Idea of Justice. Harvard University Press.
10. UN Women & UN DESA. Progress on the Sustainable Development Goals: The Gender Snapshot 2025. United Nations, 2025.
11. Desapublications.un.org
12. United Nations. Sustainable Development Goal 5: Gender Equality. United Nations.
13. United Nations.
14. World Bank. Women. Business and the Law 2024. World Bank Group, 2024.
15. World Bank PPP Resource Center.
16. UN Women. Progress on the Sustainable Development Goals: The Gender Snapshot 2024- United Nations.

*****